न्यायालय में माननीय म0प्र0 रेवन्यू बोर्ड ग्वालियर, कैम्प रीवा (म0प्र0)

निलीपित / विलोपित

01. चन्दनबाई पत्नी स्व0 दशरथ केवट, आयु 72 वर्ष.
02. हेतराम केवट पिता स्व0 दशरथ केवट, आयु 35 वर्ष.
03. हीरालाल केवट, पिता जवाहर केवट, आयु 24 वर्ष.
04. अहिल्या बाई पिता जवाहर केवट, आयु 22 वर्ष.
सभी निवासी ग्राम लोहसरा, तहसील कोतमा,
जिला अनूपपुर (म0प्र0) ———————— निगरानीकर्तागण

बनाम

मीरा बाई पत्नी स्व0 शिवकुमार केवट, आयु 42 वर्ष,
निवासी कपिलधारा कॉलोनी, क्वा0 नं. 361, बिजुरी,
वार्ड नं. 07, थाना बिजुरी, तह0 कोतमा,
जिला—अनूपपुर (म0प्र0) ———————— उत्तरदाता

राजस्व निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा द्वारा प्रकरण क्र. 40/अपील/14-15 मेंपारित आदेश दिनांक 30.06.2016, निगरानी अंतर्गत धारा 50 (4) ग म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निवेदन करते हैं कि श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा (जिन्हें आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जायेगा) के न्यायालय में विचाराधीन अपील क्र. 40/अपील/14–15 में वस्तुस्थिति यह है कि तहसीलदार कोतमा द्वारा पारित नामांतरण क्र. 19 आदेश दिनांक 23.07.2010 तथा नामांतरण क्र. 11 आदेश दिनांक 02.07.2009 के विरूद्ध एक ही संयुक्त अपील दिनांक 29.09.2014 को प्रस्तुत की गई है। अर्थात 05 वर्ष 02 माह एवं 04 वर्ष 02 माह पश्चात् प्रस्तुत की गई हैं अपील में धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका जबाव निगरानीकर्तागण द्वारा प्रकरण की नोटिस मिलने पर दिनांक 29.03.2016 को प्रस्तुत किया गया है। म्यास पर बहस सुनने के पश्चात् दिनांक 30.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर रेस्पान्डेन्ट के आवेदन धारा 05 म्याद अधिनियम को स्वीकार किया गया जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

क्रमशः...2...

29

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 R5393-II/16 जिला– अनूपपुर

चन्दन बाई/ मीरा बाई

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमर ज्योति गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील कोतमा के प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला अनूपपुर के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	